उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 83/एन0बी0/एस0बी0/2021

हेड कांस्टेबल 65 नागरिक पुलिस राजीव कुमार (पुरूष, उम्र 40 वर्ष), पुत्र श्री धीर सिंह, निवासी उन रूलर, शामली, उन, उत्तर प्रदेश–247778, हाल कार्यरत–थाना किच्छा, जिला उधम सिंह नगर।

.....याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सचिव (गृह) जिला देहरादून।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कुमांऊ परिक्षेत्र, नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्रीमती मोनिका पंत एवं अजय जोशी, याची के अधिकवक्ता।
श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

दिनांकः मई 09, 2023

याचीकर्ता की याचिका में उल्लिखित तथ्यों के मद्देनजर याचीकर्ता निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना करता है–

(i) क्षेत्राधिकारी, सितारगंज, उधम सिंह नगर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंम्भिक जांच रिपोर्ट दिनांक 25.11.2019 (संलग्नक संख्या 1), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर द्वारा पारित दंण्डात्मक आदेश दिनांक 26.08.2020 (संलग्नक संख्या 2) एवं पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र, नैनीताल द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 04.03.2021 (संलग्नक संख्या 3) को रद्द करने हेतु।

(ii) कोई भी उचित आदेश जैसा कि न्यायाधिकरण मामले के तथ्यों, कारणों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे।

(iii) मय खर्चों याचिका को स्वीकार करें।

2. याचीकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इन कथनों के साथ प्रस्तुत की है कि याचीकर्ता उत्तराखण्ड पुलिस में हेड कास्टेबल के रूप में कार्यरत है और उसका अब तक का करियर बेदाग रहा है। जब प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 149/2013 दिनांक 10.05.2013 आई०पी०सी० की धारा 420/467/468/471 के अंतर्गत दर्ज की गई, उस वक्त वर्ष 2014–15 में याचीकर्ता किच्छा, जिला उधमसिंहनगर पुलिस स्टेशन में हेड कास्टेबल के रूप में तैनात था। एफआईआर

संख्या 149/2013 आई0पी0सी0 की धारा 420/467/468/471 के अंतर्गत दर्ज होने के तुरंत बाद, मुकदमे की विवेचना एस.आई. अवनीश कुमार को सौंपी गई, जिन्होने 8 सी डी पर्चा जांच के दौरान किता की और 2013 की बाढ़ के दौरान उनका स्थानांतरण रुद्रप्रयाग हो गया जिसके उपरांत जांच एस०आई0 मनोहर दसौनी को स्थानांतरित कर दी गई थी जिन्होंने जांच के दौरान 11 और सीडी पर्चा किता की और तदोपरांत आरोप पत्र संख्या 280/1314/12/2013 को दो अधिकारी सितारगंज भेजा गया। उपरोक्त मामले की विवेचना को तब एस.आई दीवान सिंह को स्थानांतरित कर दिया गया था जिन्होंने 11 एस0सी0डी0 किता की और जांच को एक बार फिर एस0आई0 अवनीश कुमार को स्थानांतरित कर दिया गया जैसा कि पार्ट पेंडिग रजिस्टर में दिखाया गया है। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने एस0सी0डी0 1 के बाद कोई भी एस०सी०डी० दाखिल नहीं करने के संबंध में विभिन्न अनुस्मारक भेजे और दिनांक 05.08.2014 को धारा 82/83 सी0आर0पी0सी0 के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया, फिर से संक्षिप्त आपत्ति 15/13 क्षेत्राधिकरी कार्यालय द्वारा धारा 82/83/सी0आर0पी0सी0 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए अग्रेषित की। जिसके बाद क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारियों/प्रभारी निरीक्षक को कोई स्मरण पत्र नहीं भेजा गया। याचीकर्ता का दिनांक 27.10.2015 को थाना रूद्रपुर स्थानांतरित कर दिया गया जहां उन्होंने फिर से थाना किच्छा में स्थानांतरित होने की तिथि तक यानि दिनांक 08.05.2017 तक सेवा की। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि 2014 में पार्ट पेडिंग पंजिका में पार्ट पेडिंग विवेचना का रिकार्ड दर्ज किया गया था और प्राथमिकी संख्या 149/13 में जांच से संबंधित विवरण भी दर्ज किया गया था। पार्ट पेंडिंग रजिस्टर के अवलोकन से पता चलता है कि वर्ष 2015 में उक्त मामले की जांच एस0आई0 अवनीश कुमार द्वारा की जा रही थी। याचीकर्ता ने पुनः थाना किच्छा में कार्यरत होने पर पार्ट पेंडिंग विवेचना के प्रकरणों का विवरण प्राप्त करने हेतु क्षेत्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध अपराध अभिलेखों की जांच एंव तुलना की ताकि कोई विवेचना लंम्बित न रहें। क्राइम रजिस्टर के अवलोकन के बाद, याचीकर्ता यह जानकर चौंक गया कि सभी विवेचना जो पहले पार्ट पेडिंग रजिस्टर में दर्ज की गई थीं अभी भी लंबित है।

3. दिनांक 27.10.2015 से 09.05.2017 तक याचीकर्ता रूद्रपुर थाने में तैनात था और इस अवधि के दौरान याचीकर्ता का थाना किच्छा के पार्ट पेंडिंग रजिस्टर का अवलोकन करने का कोई कर्तव्य नहीं था। लेकिन किच्छा थाने में तैनात किसी ने भी पार्ट पेंडिंग रेजिस्टर का अवलोकन नहीं किया ना ही जिला स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किच्छा थाने में जांच अधिकारियों में से किसी को या जिला स्तर पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को पार्ट पेंडिंग विवेचना सौंपी गई। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए याचीकर्ता ने थाना किच्छा में स्थानान्तरण होने के तुरन्त बाद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश उपाध्याय को लंबित जांचों के बारे में सूचित किया, जिन्होने मुकदमा अपराध संखा 149/13 की विवेचना फिर दिनांक 11.07.17 को

एस0आई0 श्री मनोज कोठारी को सौपी गई। दिनांक 22.02.2018 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अधमसिंहनगर ने आदेश संख्या 21/2018 के माध्यम से सितारगंज के क्षेत्राधिकारी को मामले की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया, जिन्होंने मामले की प्रारंभिक जांच की, लेकिन यह विचार करने में विफल रहे कि एफआईआर संख्या 149/13 के मामले की जांच को लंबित रखने में याचीकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं थी। क्षेत्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार नहीं कर त्रुटि कारित की, कि याचीकर्ता उस अवधि के दौरान जब जांच को लंबित रखा गया थाना किच्छा में तैनात नहीं था। क्षेत्राधिकारी, सितारगंज ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 25.11.2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंह नगर को सौंप दी। दिनांक 25.11.2019 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि इस याचिका के साथ संलग्नक 1 के रूप में संलग्न की जा रही है। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर ने दिनांक 19.02.2020 को याचीकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जो उन्हें दिनांक 25.02.2020 को प्राप्त हुआ। याचीकर्ता ने तुरंत अपना जवाब दिनांक 25.02.2020 को प्रस्तुत किया। दिनांक 19.02.2020 के कारण बताओ नोटिस की एक सत्य प्रति और याचीकर्ता के दिनांक 25.02.2020 के उत्तर की एक सत्य प्रति इस याचिका के साथ क्रमश संग्नक संख्या 2 और 3 के रूप में संलग्न की है। याचीकर्ता के बयान पर विचार किए बिना ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिहंनगर ने दिनांक 26.08.2020 के आदेश द्वारा वर्ष 2020 के लिए परीनिंदा की प्रविष्टि की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर द्वारा प्रस्तुत रिपार्ट दिनांकित 26.08.2020 को इस याचिका के साथ संलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है। याचीकर्ता ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23(2)(बी) के साथ पठित उत्तराखण्ड अधीनस्थ पुलिस अधिकारी (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14(2) के अंतर्गत पारित पूर्वोक्त दंड आदेश के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं क्षेत्र के समक्ष अपील दायर की। अपील के मेमो की सत्यप्रति इस याचिका के साथ संलग्नक सं0 3 के रूप में संलग्न है। उपरोक्त अपील दिनांक 04.03.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई (संलग्नक संख्या 3)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर द्वारा पारित दिनांक 26.08.2020 का आक्षेपित आदेश और पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊँ क्षेत्र नैनीताल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2021 अनुचित और कानून के विरुद्ध है और जिसके विरुद्ध यह याचिका दायर की जा रही है।

4. उत्तरदाता यह मानने में विफल रहे कि पार्ट पेंडिंग रजिस्टर को बनाए रखना याचीकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि विवेचना अधिकारियों/क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे जांच का संचालन और पर्यवेक्षण करें और अपराध रजिस्टर बनाए रखें। उत्तरदाता इस तथ्य को समझने में विफल है कि 2015–2017 के दौरान किसी भी जांच अधिकारी/क्षेत्राधिकारी ने लंबित जांच का पूरा करने के लिए लंबित विवेचनाओं के रजिस्टर का अवलोकन नहीं किया। यह कि पार्ट पंडिंग रजिस्टर में वर्ष 2012 के मुकदमे की जांच भी लंबित थी, न तो लंबित विवेचना किसी

विवेचना अधिकारी को सौंपी गई और न ही क्षेत्राधिकारी की ओर से कोई अनुस्मारक प्राप्त हुआ। यह उल्लेख करना उचित है कि जब याचीकर्ता, थाना रुद्रपुर में तैनात थे उस समय पार्ट पेंडिंग रजिस्टर का अवलोकन किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था।

5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2020 और पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं क्षेत्र, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2021 को बिना तथ्यों को समझे यांत्रिक तरीके के पारित किया गया है। अपीलीय प्राधिकारी याचिकर्ता द्वारा अंकित आधारों पर विचार करने में विफल रहे हैं। याचीकर्ता के खिलाफ आरोप अस्पष्ट हैं और सजा कथित कार्य या चूक के लिए कठोर और अनुपात हीन है। अपीलीय प्राधिकारी याचीकर्ता द्वारा अंकित आधारों पर विचार करने में विफल रहे हैं। याचीकर्ता के खिलाफ आरोप अस्पष्ट है और सजा कथित चूक के लिए कठोर और अनुपातहीन है। आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले अधिकारीगण ने अपना न्यायिक मस्तिष्क उपयोग नही किया। उत्तरदाता का रवैया अवैध, मनमाना, दुभार्वनापूर्ण और कानूनी तौर से अंसवैधानिक है। उपरोक्त आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के पैरा 55 का उल्लंघन जिसमें हेड कांस्टेबल के कर्तव्य दिए गए हैं, जिस निष्क्रियता के लिए परीनिंदा की प्रविष्टि की गई है, वह हेड कांस्टेबल के कर्तव्यों में भी शामिल नहीं है। लंबित विवेचना के बारे में विवेचना अधिकारियों को सूचित करने और फिर उन्हें विवेचना सुपुर्द करने की जिम्मेदारी याचीकर्ता की नहीं बल्कि क्षेत्राधिकारियों की है जिन्हें लंबित विवेचनाओं के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उत्तरदाता यह विचार करने में विफल रहे कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के प्रस्तर 40 के अनुसार विवेचना का पर्यवेक्षण, अपराध रजिस्टर का रख रखाय व पार्ट पेंडिंग विवेचना के संबंध में जानकारी होना क्षेत्राधिकारी का प्रधान कर्तव्य है। याचीकर्ता को उस कार्य/चुक के लिए दंडित किया गया है जो उसने कभी किया ही नहीं और वह कथित अवधि के दौरान थाना किच्छा में हेड कांस्टेबल के रूप में सेवारत था ही नहीं।

6. याचीकर्ता को उसके द्वारा दिखाए गए कर्मठता के लिए मनमाने ढंग से दंडित किया गया है जबकि याचीकर्ता ही था जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वर्ष 2015–2017 से किसी भी अधिकारी द्वारा लंबित विवेचना का अवलोकन न करने के संबंध में पार्ट पेडिंग रजिस्टर के बारे में सूचित किया था और याचीकर्ता को उसके द्वारा लंबित विवेचना को फिर से शुरू करवाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए दंडित किया गया है। उक्त मामले में कोई निष्पक्ष और उचित निष्पक्ष जांच नहीं की गई है। कथित कदाचार वर्ष 2015–2017 से संबंधित है जबकि परिनिंदा की प्रविष्टि का आदेश वर्ष 2020 के लिए पारित किया गया है जो कि अवैध और मनमाना है तथा निरस्त होने योग्य है।

7. जबकि उत्तदातागण की ओर से याचीकर्ता की याचिका के कथनों का खण्डन करते हुए अवनीश कुमार, क्षेत्राधिकारी कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करते हुए संक्षेप में कथन किया है कि शपथकर्ता वर्तमान समय में वरिष्ठ

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला उधमसिंहनगर में नियुक्त है। शपथकर्ता द्वारा याचीकर्ता की याचिका के कथनों का अध्ययन करके प्रतिउत्तर दाखिल कर रहा है। याचीकर्ता द्वारा अपनी याचिका बढ़ा–चढ़ा कर व द्वेषपूर्ण भाव से प्रस्तुत की है जिस कारण से याचिका के सभी पैराग्राफ जिस प्रकार से उल्लिखित हैं, अभिलेखीय प्रपत्रों के सिवाय स्वीकार नही है।

8. याची जब वर्ष 2014–15 में पुलिस थाना किच्छा जिला उधमसिंह नगर में नियुक्त था तो गिरधर सिंह, अनुसेवक चकबन्दी कार्यालय किच्छा एवं श्री नन्दराम अनुसेवक चकबन्दी कार्यालय काशीपुर के द्वारा सूचना दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने हित लाभ में ग्राम बखपुर के राजस्व अभिलेखों में फर्जी हस्ताक्षर कर राजस्व अभिलेखागार, नैनीताल से लिफाफा प्राप्त किया गया है। उपरोक्त के संबंध में श्री संजय कुमार आर्या पुत्र श्री जगदीश चन्द्र चकबन्दी कार्यालय काशीपुर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना किच्छा में प्रथम सूचना नं0 149 सन् 2013 अन्तर्गत धारा 420, 267, 468 एवं 471 भा0द0वि0 में दर्ज करवायी गयी। इसके पश्चात उक्त मु0 अपराध में SCD 11 किता दिनांक 23.08.2014 को की गई। उसके पश्चात उक्त मु0 अपराध में कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा विवेचना किसी विवेचक को हस्तांतरित नहीं की गयी जिसके संबंध में प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश शर्मा द्वारा वर्ष 2014 में पार्ट पेडिंग रजिस्टर का अवलोकन किया गया लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही उपरोक्त अपराध सं0 में नही की गयी और विवेचना लंबित थी जिसके संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए प्रारम्भिक जांच योजित की गयी और जिनके द्वारा दिनांक 25.11.2019 को अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल की गयी और जिसमें याचीकर्ता की लापरवाही को माना गया तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 19.02.2020 को कारण बताओ नोटिस उत्तराखण्ड अधीनस्थ पुलिस अधिकारी (दण्ड और अपील) के नियम 1991 के नियम 14(2) सपठित उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 23(2) के अन्तर्गत दिया गया और जिसका उत्तर याचीकर्ता द्वारा दिनांक 25.2.2020 को प्रस्तुत किया गया, उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा दण्ड आदेश पारित किया गया और उसके पश्चात याचीकर्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 26 उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 के साथ विपक्षी सं0 2 के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और जिसमें उत्तरदाता सं0 2 अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 04.03.2021 को पारित करते हुए याचिकर्ता की अपील निरस्त की गई। उत्तरदातागण 2 व 3 के द्वारा याचीकर्ता को नियमानुसार उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी [दण्ड एवं अपील] नियम 1991) जो उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2002 के आदेशानुसार अंगीकृत किया गया जिसके कारण उत्तरदातागण द्वारा पारित दण्ड आदेश में कोई भी त्रुटि अथवा अवैधानिकता नहीं है तदनुसार याचीकर्ता की याचिका निरस्त होने योग्य है। उत्तरदातागण सक्षम प्राधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी [दण्ड एवं अपील] नियम 1991) के

नियम 14(2) के तहत् याचीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया और तत्पश्चात ही विधिवत् याचिकर्ता को दण्ड स्वरूप परिनिन्दा प्रविष्टि दी गयी। अतः याचीकर्ता की याचिका निरस्त होने योग्य है। निरस्त की जावे।

9. उत्तरदातागण की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर के खण्डन में याचीकर्ता श्री राजीव कुमार द्वारा रिजवान्डर शपथपत्र दाखिल करते हुए संक्षेप में कथन किया है कि याचिकर्ता द्वारा प्रारम्भिक जांच में जांच अधिकारी द्वारा याची को गलत एवं द्वेषपूर्ण भावना से दोषी पाने का उल्लेख किया गया है, जबकि वर्ष 2015 में स्थानान्तरण थाना किच्छा से रूद्रपुर हुआ था और जिसमें दिनांक 08.05.2017 तक रूद्रपुर में सेवा दी गयी तथा पुनः याचीकर्ता का स्थानान्तरण थाना किच्छा होने के बाद स्वयं याचीकर्ता द्वारा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश उपाध्याय को लंबित जांच के बारे में सूचित किया गया जिनके द्वारा थानान्तर्गत लंबित प्रश्नगत विवेचना को श्री मनोज कोठारी को सौंपा गया तथा याचीकर्ता निर्दोष है याचिकर्ता द्वारा कोई लापरवाही अपने कर्तव्य पालन में नहीं की गयी। दावा याचिका में मांगी गयी राहत प्रदान करने की कृपा करें।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया ।

11. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि याचीकर्ता वर्ष 2014–15 में थाना किच्छा जिला उधमसिंहनगर में बतौर हेड कांस्टेबिल तैनात था, उस दौरान मु0 अपराध सं0 149/2013 दिनांक 10.05.2013 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 थाना किच्छा में पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक अवनीश कुमार को सौंपी गयी। जिनके द्वारा 8 किता केस डायरी की गयी और वर्ष 2013 की बाढ़ के दौरान उनका स्थानान्तरण रूद्रप्रयाग होने के कारण विवेचना उपनिरीक्षक मनोहर दसौनी को स्थानान्तरित की गयी थी, जिन्होंने 11 किता केस डायरी की गयी और तदुपरान्त आरोप पत्र सं0 280 क्षेत्राधिकारी को भेजा गया, जिन्होनें जांच कर उक्त विवेचना को वापस किया गया और उसके उपरान्त जांच उपनिरीक्षक दिवान सिंह को स्थानान्तरित की गयी और तत्पश्चात पुनः विवेचना अवनीश कुमार को स्थानान्तरित कर दी गयी। याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि दिनांक 27.10.2015 में याचीकर्ता का स्थानान्तरण थाना किच्छा से थाना रूद्रपुर किया गया जहां याचीकर्ता दिनांक 8.05.2017 तक सेवा देता रहा। याचीकर्ता द्वारा वर्ष 2014–15 में पार्ट पेडिंग विवेचना को रजिस्टर में रिकार्ड दर्ज किया गया था और वर्ष 2015 में उक्त मामले की जांच पुनः उपनिरीक्षक अवनीश कुमार को सौंपी गयी थी। याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया दिनांक 27.10.2015 से दिनांक 09.05.2017 तक याचीकर्ता रूदपुर थाने में तैनात था और जिस अवधि में थाना किच्छा में पार्ट पेडिंग रजिस्टर का अवलोकन करने व पार्ट पेंडिग विवेचना संधारित करने में कोई कर्तव्य याचीकर्ता का नहीं था तथा उस अवधि में थाने में भारसाधक अधिकारीगण एवं जिला स्तर पर तैनात वरिष्ठ

अधिकारीगण द्वारा भी कोई अवलोकन उक्त रजिस्टर का नहीं किया गया और पुनः जब याचीकर्ता का थाना रूद्रपुर से थाना किच्छा स्थानान्तरण किया गया और याचीकर्ता द्वारा पार्ट पेडिग रजिस्टर का अवलोकन किया तथा लंबित प्रश्नगत विवेचना के संबंध में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश उपाध्याय को सूचित किया, तब उनके द्वारा प्रश्नगत मु0 की विवेचना दिनांक 11.07.2017 को उपनिरीक्षक मनोज कोठारी को सौंपी गयी। उक्त पार्ट पेंडिग विवेचना के लंबित रहने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए प्रारम्भिक जांच करने हेतु नियुक्त किया गया और जिनके द्वारा याचीकर्ता के साक्ष्यों व थाने के पार्ट पेंडिग रजिस्टर आदि को नजरअन्दाज करते हुए याचीकर्ता को भी अन्य पुलिस कर्मचारीगण के साथ लापरवाही के लिए दोषी पाया, जबकि याचीकर्ता द्वारा ही पुनः थाना किच्छा में स्थानान्तरण होने के बाद प्रश्नगत पार्ट पेंडिग विवेचना को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक के संज्ञान में लाया गया था लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर एवं पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा जांच अधिकारी की प्रारम्भिक जांच को यथावत मानते हुए याचीकर्ता को अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, शिथिलता, अर्कमण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक पाते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि से दण्डित किया गया है। जो पूरी तरह विधि विरूद्ध एवं मनमाने रूप से किया गया है, जिसे अपास्त किया जावे।

12. जबकि विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर एंव पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा याचीकर्ता को जो परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया किया है उसमें कोई वैधानिक त्रुटि नही है तथा प्रारम्भिक जांच में याचीकर्ता को अपने कर्तव्य के पालन में लापरवाही का दोषी पाया गया था, ऐसी स्थिति में याचीकर्ता की याचिका निरस्त की जावे।

13. पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता जब वर्ष 2014–15 में थाना किच्छा में बतौर हेड कान्सटेबिल तैनात था तो उस समय मु0 अपराध सं0 149/2013 दिनांक 10.05.2013 को थाना हाजा पर दर्ज किया गया था और जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक अवनीश कुमार को सौंपी गयी थी जिन्होंने 8 किता केस डायरी की गयी और तत्पश्चात जनपद रूदप्रयाग रूदपुर स्थानान्तरित होने के कारण विवेचना उपनिरीक्षक मनोहर दसौनी को सौंपी गयी जिनके द्वारा 11 किता सी.डी. काटी गयी और आरोप पत्र 280/1314/12, 2013 को क्षेत्राधिकारी सितारगंज को भेजा गया इसके उपरान्त पुनः मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा उपनिरीक्षक दिवान सिंह को स्थानान्तरित की गई और जिनके द्वारा 11 किता एस0सी0डी0 काटी गई और पुनः जांच उपनिरीक्षक अवनीश कुमार को स्थानान्तरित की गयी जैसा कि

याचीकर्ता द्वारा अपनी याचिका में कथन किया गया है कि उक्त विवेचना का उल्लेख पार्ट पेडिंग रजिस्टर में दिखाया गया है ।

14. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 27.10.2015 को याचीकर्ता थाना किच्छा से थाना रूदपुर स्थानान्तरण किया गया जहां याचीकर्ता दिनांक 08.05.2017 तक सेवा करता रहा, पुनः याचीकर्ता का स्थानान्तरण थाना रूदपुर से थाना किच्छा किया गया और जहां याचीकर्ता द्वारा पार्ट पेंडिग रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि थाना किच्छा में तैनात किसी भी भारसाधक अधिकारी द्वारा पार्ट पेंडिग रजिस्टर का अवलोकन नहीं किया गया और न ही जिला स्तर पर तैनात किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा पार्ट पेडिंग रजिस्टर का अवलोकन कर प्रश्नगत विवेचना को किस अधिकारी को विवेचना हेतु सौंपा गया, जबकि याचीकर्ता ने थाना थाना रूद्रपुर से थाना किच्छा में स्थानान्तरण होने के तुरन्त बाद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश उपाध्याय को लंबित प्रश्नगत जांच के बारे में सूचित किया गया और उसके उपरान्त प्रश्नगत अपराध सं0 149/2013 की विवेचना दिनांक 11.07.2017 को उपनिरीक्षक श्री मनोज कोठारी को सौंपी गयी। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि जब याचीकर्ता दिनांक 27.10.2015 को थाना किच्छा से थाना रूद्रपुर स्थानान्तरण किया गया और दिनांक 8.5.2017 तक थाना रूदपुर में सेवारत रहा इस अवधि में थाना किच्छा में संधारित पार्ट पेडिंग रजिस्टर को किसी भी भारसाधक पुलिस अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं जनपद स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा अवलोकित नही किया, गया जब कि समान्यत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के थाना प्रभारियों की अपराधिक मामलो के संबंध में प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाती है और जिसमें प्रत्येक लंबित विवेचना आदि के संबंध मे स्पष्ट एंव विस्तृत उल्लेख होना नितान्त आवश्यक है लेकिन याचीकर्ता के थाना किच्छा से थाना रूदपुर स्थानान्तरण की अवधि के दौरान प्रश्नगत लंबित विवेचना के संबंध में कोई भी संज्ञान किसी थाने के भारसाधक अधिकारी,पुलिस क्षेत्राधिकारी व जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नहीं लिया गया और जब याचीकर्ता द्वारा उक्त लंबित प्रश्नगत विवेचना के लम्बित होने के संबंध में थाना किच्छा में पुनः स्थानान्तरण होने पर तत्कालीन थाना प्रभारी श्री योगेश उपाध्याय के संज्ञान में लाया गया तब थाना प्रभारी द्वारा विवेचना उपनिरीक्षक श्री मनोज कोठारी के सुर्पुद की गयी, तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा प्रारम्भिक जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज को सौंपी गयी, के दौरान जांच अधिकारी द्वारा याचीकर्ता के बयान अंकित किये गये और प्रारम्भिक जांच के पृष्ठ सं0 4 पर याचीकर्ता से प्रश्न 1 व 2 जांच अधिकारी द्वारा पूछने पर याचीकर्ता ने स्पष्टतः उत्तर दिया गया कि ‘‘**मेरे द्वारा पार्ट पेंडिग विवेचना आवंटित की गयी थी, जिसमें एसआई मनोहर सिंह दसौनी, दीवान सिंह, एसआई अवनीश कुमार एसआई मनोज कोठारी के पास प्रचलित रही है। वर्ष 2015 में मेरा स्थानान्तरण थाना रूदपुर में हो जाने के कारण उसके बाद 9 मई, 2017 में, मैं थाना किच्छा में पुनः स्थानान्तरण पर आया,**

जिसमें पार्ट पेंडिग रजिस्टर का अवलोकन करने पर उक्त अभियोग की विवेचना एसआई अवनीश कुमार के पास थी, जो कि इस कोतवाली से काफी समय पहले स्थानान्तरण पर जा चुके थे, उसके बाद मेरे द्वारा 11.07.2017 को उक्त अभियोग की विवेचना एसआई मनोज कोठारी के सुपुर्द की गयी। उक्त विवेचना 28 अक्टूबर 2015 से 7 मई, 2017 तक किसके पास रही मुझे नही पता, क्षेत्राधिकारी कार्यालय सितारगंज से ज्ञात हो सकता है। उच्च अधिकारियों को इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि समस्त विवेचनाओं का प्रयवेक्षण एसएचओ महोदय व क्षेत्राधिकारी कार्यालय से किया जाता है, जब तक मैं किच्छा कोतवाली में तैनात रहा, तब तक विवेचना बटी हुई थी, जबकि 2017 में पुनः आने पर मेरे द्वारा रजिस्टरों के अवलोकन के बाद व कोई विवेचना छूट न जाये, इसके लिये क्षेत्राधिकारी कार्यालय सितारगंज से विवेचनाओं का मिलान किया गया, जिसमें 149/2013 प्रचलित पायी, जिसके उपरान्त मेरे द्वारा विवेचना एसआई मनोज कोठारी के सुपुद्र की गयी''।

15. जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या के पेज–10 के अन्तिम पक्तिंयों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''**पार्ट पेंडिग रजिस्टर के अवलोकन से पाया कि वर्ष 2014 में निरीक्षक श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा उक्त रजिस्टर को अवलोकित किया गया है, उसके बाद किसी भी थाना प्रभारी द्वारा उक्त पार्ट पेडिंग रजि0 को अवलोकित नही किया गया है', जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि तत्समय थाना किच्छा पर नियुक्त रहे हेड का0 ना0पु0 राजीव कुमार एवं 67 ना0पु0 पूरनचन्द्र द्वारा भी थाना प्रभारी को उक्त बावत अवगत नही कराया गया है, जो इनकी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है**''।

16. जांच अधिकारी के उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि निरीक्षक श्री ओमप्रकाश शर्मा के बाद थाना प्रभारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा थाना किच्छा में संधारित पार्ट पेडिंग रजिस्टर का अवलोकन नही किया गया और जिसकी सम्पर्णू लापरवाही व अर्कमण्यता एवं अनुशासनहीनता का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारियों संबंधित क्षेत्राधिकारियों का था, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा याचीकार्ता के कर्तव्य पालन के संबंध में गनहता से कोई जांच किये बिना संभावना के आधार पर याचीकर्ता की अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही प्रतीत होना परिलक्षित किया गया है, जिससे याचीकर्ता के इस कथन को बल मिलता है कि याचीकर्ता के बयानात व प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही के लिए दोषी पाये जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस का विस्तृत उत्तर याचीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि याचीकर्ता के बयानों को नजरअन्दाज करते हुए केवल जांच रिपोर्ट को आधार मानते हुए मनमाने तरीके से याचीकर्ता को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, शिथिलता, अर्कमण्यता व स्वैच्छाचारिता का द्योतक मानते हुए परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया और जिसके विरूद्ध पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र के समक्ष अपील करने पर पुलीस महानिरीक्षक द्वारा भी यथावत याचीकर्ता के कथनों

को नजर अन्दाज करते हुए प्रारम्भिक जांच को आधार मानते हुए एवं थाना भारसाधक अधिकारीगण एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी के अपने कर्तव्य के निष्पादन में की गयी घोर लापरवाही के विपरीत बिना किसी आधार के याचीकर्ता को भी लापरवाही हेतु दोषी माना गया, जबकि याचीकर्ता का दायित्व केवल पार्ट पेंडिग रजिस्टर में विवेचना का उल्लेख करना था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि पार्ट पेंडिग विवेचना किसी विवेचक को स्थानान्तरित करने का उल्लेख थाना के हेड कान्सटेबिल क्लर्क द्वारा पार्ट पेंडिग रजिस्टर में थाना प्रभारियों के आदेशानुसार कर दिया है तो इस संबंध में पार्ट पेंडिग रजिस्टर के अवलोकन करने का मुख्य कर्तव्य थाना भारसाधक का था। प्रश्नगत मामले में याचीकर्ता द्वारा ही पुनः थाना रूदपुर से थाना किच्छा स्थानान्तरण होने पर पार्ट पेंडिग रजिस्टर का अवलोकन किया गया और प्रश्नगत पार्ट पेंडिग विवेचना को प्रभारी निरीक्षक के संज्ञान में लाया गया और जिसके पश्चात प्रश्नगत जांच पार्ट पेंडिग विवेचना को उपनिरीक्षक श्री मनोज कोठारी को सौंपा गया था, जिसके बावजूद जांच अधिकारी द्वारा याचिकर्ता को भी अन्य के साथ अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही का दोषी ठहराये जाने हेतु महान वैधानिक त्रुटि की गयी है, ऐसी स्थिति में याचीकर्ता के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 26.8.2020 एंव पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 04.3.2021 निरस्त होने योग्य है।

आदेश

याचीकर्ता की याचीका स्वीकार की जाती है। याचीकर्ता के विरूद्ध उत्तरदाता सं0 3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 26.8.2020 एवं पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा पारित अपीलय आदेश दिनांक 04.03.2021 अपास्त किये जाते हैं। विपक्षी उत्तदरदाता सं0 3 को आदेशित किया जाता है कि याची की चरित्र पंजिका में अंकित उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में परिनिन्दा प्रविष्टि को अन्दर 30 दिन में **चरित्र पंजिका** सें काटना/हटाना सुनिश्चित करें। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगे।

दिनांकः मई 09, 2023
देहरादून।

(राजेन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष (न्यायिक)